REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239420 CG-DL-E-07102022-239420

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4533] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944 No. 4533] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

**का.आ. 4743(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
11	703	जालंधर के निकट रारा-3 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर पंजाब राज्य में नकोदर, मोगा, बधनी, बरनाला, हंडिया, मानसा, झुनीर, हरियाणा राज्य में सरदुलगढ़, सिरसा, नोहर, तारानगर को जोड़ने वालाऔर राजस्थान राज्य में चुरू के निकटनया रारा-52के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के लिए अनुसूची का प्रतिस्थापन, अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत किया गया था जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद अधिसूचना सं. का.आ. 4346(अ), दिनांकित 15 सितंबर 2022 के तहत इसे आगे और संशोधित किया गया था।

> [फा. सं. एनएच-14012/5/2022-पी एंड एम] राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

**S.O. 4743(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
11	703	The highway starting from its junction near Jalandhar on NH-3 connecting Nakodar, Moga, Badhni, Barnala, Handiaya, Mansa, Jhunir in the State of Punjab, Sardulgarh, Sirsa in the State of Haryana, Nohar, Taranagar and terminating at its junction with new NH No. 52 near Churu in the State of Rajasthan.

**Footnote**: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4346(E), dated 15th September, 2022.

[F. No. NH-14012/5/2022-P&M] RAJESH GUPTA, Director